न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 67/2009

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मीठालाल के का0मु0 वगैरा		नरसा पुत्र तिलोकचन्द वगैरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :–
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.6.18

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स को दिलवाई गई तथा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण वर्ष 2009 से 2018 तक तलबी में ही नियत है। अपीलाण्ट द्वारा वर्ष 2012 से आज तक न तो का0मु0 की तलबी प्रस्तुत की तथा न ही सम्मन तलबाना पेश किए है। इस कारण अपील आज ही खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने कथन किया कि उनके द्वारा का0मु0 प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दिनांक 14.12.2017 को वारिशान की ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत हो चुका है। इस स्थिति में सम्पूर्ण अपील खारिज नहीं की जा सकती है। अतः रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत अपील दिनांक 15.09.2009 को दायर की गई है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के फौत होने की सूचना दिनांक 15.12.2010 को रेकर्ड पर आई है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के का0मु0 को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.10.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के का0मु को रेकर्ड पर लेने के आदेश पारित किए तथा वकील अपीलाण्ट को संशोधित शीर्षक एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

का0मु0 की तलबी प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेशों की पालना में वकील अपीलाण्ट द्वारा लगभग 7 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बावजूद संशोधित शीर्षक एवं पी0एफ0 सम्मन पेश नहीं किए है, जो स्पष्टतया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 5 का उल्लंघन है। जिसके परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी के तहत स्वीकार किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 5 का नुक्श होने से अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 8-6-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर